तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/19	मुलाहिजा यथास्थिति। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त है/भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 16/12/19 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट सोजत	
16/12/19	अधिवक्ता प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 जो. प्र. पेश। मानने की समय चाहते है जो किया। आगे पत्रावली बास्ते दि० 16/01/20 को पेश हो। S.D.O. Sojat	
16/1/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 11/3/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
11/3/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 6/5/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
6/5/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 30/6/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
30/6/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 2/9/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
03/09/20	न्यायालय हाजा के पत्रांक/रीडर/20/570 दिनांक 4.8.20 के परिपेक्ष्य में आयोजित लोक अदालत/ दिनांक 11.8.20 के बाद स्थगित किये गये पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामील में पत्रावली आज पेश हुई।

पक्षकारान उप:

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 3 को दिनांक 24.10.18 से लगातार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लगातार अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 4 के विरुद्ध दिनांक 24.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

बहस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई व समायत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि मुस्तकिल मौजा ... तहसील सोजत के खसरा नम्बर 436, 614, 620, 1305, 1454, 1456, 1458, 1461 जिसका रकबा क्रमश: 2.4400 है०, 1.3800 हैक्टेयर, 2.000 है०, 2.3300 है०, 0.5000 हैक्टेयर, 0.3800 है०, 0.4500 है०, 0.2400 है० जिस्मे बा.अ.-चा.सो.बा.जा. सो.बा.दो.-चा.से.जा.दो. संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/3, प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त आता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण माफिक हिस्से अनुसार अपनी-अपनी कृषि जोत की भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अविभाजित है। बंटवारा नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को बदनियति पूर्वक हड़पना चाहते है तथा उपजाऊ की गई कृषि जोत की भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण द्वारा उपजाऊ की गई भूमि पर कब्जा कर उसे खु-खाकियो को बेचान - हस्तान्तरण करना चाहते है। जिससे कृषक तुल्य आपसी प्रार्थी के पक्ष में है। अ-प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में रुकावटी व्यवधान पैदा करने पर उतारु है, जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उक्त अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बिना विधिक बंटवारे बेचान बिना, बेचान, हस्तान्तरण, किसी प्रकार की दखलन्दाजी व खोद खाटी माल को हटाने से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की निवेदन की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया की एक प्रार्थना पत्र में विवादित अविभाजित भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में उक्त विवादित अविभाजित भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा बंटवारा कराये बिना ही बेचान करने हेतु प्रयास कर रहा है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 द्वारा अलाट की गई भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अप्रार्थीगण बेचान करने में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा, सुविधा व सन्तुलन, एंव अपूर्णीयक्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 जारी की जाने की इस्तदुआ की है। जवाब पक्ष में अधिवक्ता अप्रार्थी ने विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की होना बताया व प्रार्थी की भूमि पर कभी अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा नहीं किया गया विवादित भूमि अविभाजित है। जिसके प्रत्येक ईंच पर सभी खातेदारों का ~~[illegible]~~ हक है। ~~[illegible]~~ तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है।	
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। तथा बहस बहुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित आराजी की संयुक्त अविभाजित खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की है। जिसमे प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का 1/3 तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा आता है। चूंकि यह का मूल वाद विभाजन का है। यदि मूल वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल-अन्दाजी करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होना स्वभाविक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।	
-।। आदेश ।।-	
उक्त विवेचना व विश्लेषण पर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 L.R. Act का स्वीकार किया जाता है व अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत अप्रार्थीगण विरुद्ध अस्थायी रूप से जारी की जाती है कि खसरा मौजा लुन्दाडा तहसील सोजत में	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज
	प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते काश्त की कृषि खसरा नम्बर 436, 614, 626, 1305, 1454, 1456, 1458, 1461 कुल किता 8 कुल रकबा 9.7200 हैक्टेयर किस्म बं. चा. सो. गा. म., बा. सो. बा. दो. चा. दो. अ. मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षों को एक दूसरे के हक हिस्से में दखल-अन्दाजी करने से रोकते हुए यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार केस नम्बर से कम होकर तकमील बाबत मूल वाद के साथ नत्थी हो। (दौलत राम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर, सोजत सोजत निर्णय आज दिनांक 03-09-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। (दौलत राम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर, सोजत सोजत (जिला-पाली) राज.